(e) In the light of certain representations received from some national level bank officers' associations, reexamination of the guidelines become necessary. The process of appointment of officer employee director shall be initiated as soon as the guidelines are finalised.

गैर-निष्पादक परिसंपत्तियों (नॉन-परफार्मिंग एसेट्स) को कम करने के लिये कदम

2471. **श्री राम जेठमलानी:** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि सरकार द्वारा पिछले वर्षों के दौरान देश के 27 बैंकों की गैर-निष्पादक परिसंपत्तियों को कम करने हेतु कुछ कदम उठाए गये हैं;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा उठाए गये कदमो का ब्यौरा क्या है; और

(ग) उठाए गये कदम के फलस्वरूप प्राप्त परिणाम पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० पी० वीरेन्द्र कुमार): (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक आर०बी०आई० ने बैंकों से कहा है कि वे अपने बोर्ड के अनुमोदन से ऋण नीति, ऋण वसूली नीति तैयार करें तथा मुख्यालय में महाप्रबंधक के प्रभार में एक वसूली कक्ष स्थापित करें। बैंकों से यह भी कहा गया है कि वे अपनी ऋण मूल्यांकन तंत्र तथा आंतरिक नियंत्रण तंत्र को सुदृढ़ करे। पिछले कुछ वर्षों में सरकार द्वारा ऋण वसूली अधिकरणों के गठन से बैंकों को विवादित या चूक-राशियों की वसूली में सहायता मिलने की आशा है।

(ग) बैंकों ने अनिष्पादित आस्तियों में कमी की प्रवृत्ति ला कर लाभदायक स्थिति (टर्न एराउंड) प्राप्त कर ली है। सरकारी क्षेत्र के बैंकों के कुल अग्रिमों में से अनिष्पादित आस्तियों का प्रतिशत वर्ष 1993-94 के दौरान 24.78% की तुलना में वर्ष 1994-95 में 19.45% रह गया है तथा वर्ष 1995-96 के दौरान और भी कम होकर 17.12% रह गया है।

राष्ट्रीयकृत बैंकों में अशोध्य ऋण को बट्टे खाते डालने के संबंध में प्रावधान

2472. **श्री राम जेठमलानी:** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रीयकृत बैंकों में प्रत्येक वर्ष के दौरान अशोध्य ऋण को बट्टे खाते में डालने का प्रावधान है;

(ख) यदि हां, तो अशोध्य ऋणों को बट्टे खाते में डालने के लिये सरकार ने क्या-क्या निर्देश दिये हैं; और

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान इन निर्देशों के कारण ऋण मुक्त हुये ऋण लेनदारों की ऐसे ऋणों की वार्षिक औसत राशि का ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० पी० वीरेन्द्र कुमार): (क) प्रत्येक वर्ष अशोध्य ऋणों को बट्टे खाते डालने के लिये राष्ट्रीयकरण अधिनियम अर्थात् बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970/1980 में कोई विशेष प्रावधान नहीं है।

(ख) आय की पहचान और आस्तियों के वर्गीकरण के विवेकपूर्ण मानदंडों के बारे में भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा निर्देशों में यह उल्लेख किया गया है कि उन हानि वाली आस्तियों के मामले में जहां शेष बकाया राशि किसी प्रतिभूति से समर्थित नहीं है और साथ ही जहां बैंक को बही ऋणों की वसूली की कोई आशा नहीं है, बैंक द्वारा समस्त शेष बकाया राशि को बट्टे-खाते डाला जा सकता है। यदि किसी कारण से ऐसी आस्तियों को बहियों में रहने देने की अनुमति दी जाती है तो बैंक से उसके लिये 100 प्रतिशत प्रावधान करने की अपेक्षा की जाती है।

भारतीय रिजर्व ने बैंक ने बैंकों से कहा है कि अशोध्य ऋणों को बट्टे-खाते डालने से पूर्व उक्त देय राशि को वसूल करने के सभी संभव प्रयास किये जाने चाहिये और यदि उन ऋणों की वसूली की आगे संभावनाए न हो तो बैंक के बेहतर हित में बट्टे-खाते डालने का निर्णय लिया जाए। इस उद्देश्य के लिये बैंकों से एक ऋण वसूली नीति बनाने के लिये कहा गया है जिसमें अशोध्य ऋणों को बट्टे-खाते डालने संबंधी शक्तियों को स्पष्टरूप से अधिकारियों के विभिन्न स्तरों में निहित किया गया हो बशर्ते कीं, ऐसे आंकड़ों की उनके निदेशकमंडल द्वारा विधिवत जांच की गई ह। भारतीय रिजर्व बैंक ने आगे बैंकों से कहा हो कि बट्टे-खाते